प्राक्कथन

नागरिकों को पासपोर्ट जारी करना विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) का प्रमुख कार्य है। पासपोर्ट सेवा परियोजना (पी.एस.पी.) राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर शुरू की गई एक मिशन मोड परियोजना है। पी.एस.पी. का उद्देश्य सामयिक, पारदर्शी, सुगम्य, विश्वसनीय तरीके और सुविधापूर्ण वातावरण में नागरिकों को सभी पासपोर्ट संबंधित सेवाएं प्रदान करना था।

अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई सेवाओं मुख्य रूप से मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई नागरिक-केंद्रित सेवाओं से संबंधित स्तर का आकलन करती है। पासपोर्ट सेवाओं के वितरण में कई मात्रात्मक और गुणात्मक सुधारों के बावजूद, कई कमियां थी जिन्हें मंत्रालय द्वारा संबोधित किया जाना था। पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पी.एस.के.) में मिलने का समय प्राप्त होने में काफी विलंब, पुलिस जांच प्रक्रिया में विलंब तथा डाक मुद्रण स्तरों पर लंबित मामले थे। यह प्रतिवेदन मास्टर सेवा अनुबंध की धाराओं में विसंगतियों, कमजोर परियोजना गर्वनेंस संरचना, अनुचित परिवर्तनों के साथ एस.एल.ए. मेट्रिक्स में विचलन तथा संपूर्ण कमजोर मॉनीटरिंग को दर्शाता है, जिसके कारण लक्षित समय-सीमा के भीतर सामान्य एवं तत्काल पासपोर्ट जारी नहीं किए जा सके थे।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

इस लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार संचालित किया गया है।